

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

—00—

क्रमांक/ फ-9/3/2003/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 13/04/2005
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त सम्बन्धीय आयुक्त,
समस्त विभाग, अध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर (म.प्र.)

विषय-राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने
वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की जाना ।

-0-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश शासन के
अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 1-1-2005 के पश्चात नियुक्त
कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की जाएगी । इस
योजना के लिये अधिनियम के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत प्राप्त सभी
शक्तियों का उपयोग करते हुये राज्य शासन द्वारा विस्तृत नियम बनाये जा रहे हैं ।

2/ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक
एफ-9/3/2005/नियम/चार, दिनांक 2-4-2005 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा
(पेंशन) नियम 1976, में किए गये संशोधन के फलस्वरूप अब मध्यप्रदेश शासन के
अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त शासकीय कर्मचारियों व
अधिकारियों को दिनांक 1-1-2005 के पश्चात मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन)
नियम 1976 लागू नहीं होंगे । इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की
अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/2005/नियम/चार, दिनांक 2-4-2005 के
अनुसार मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त
कर्मचारियों व अधिकारियों को मध्यप्रदेश सामान्य गवित्थ निधि लागू नहीं होंगे ।

3/ परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिये विस्तृत नियम जारी होने तक
दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों के
लिये प्रस्तावित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों का अंशदान
प्राप्त करने, शासन का अंशदान जमा करने एवं उसके लेखे संधारण के लिये
निम्नानुसार अनंतिम व्यवस्था लागू की जाती है-


(1) प्रत्येक प्राहरण एवं आवितरण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके कार्यालय से वेतन पाने वाले दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारी के मासिक वेतन एवं महगाई भत्ते से 10 प्रतिशत राशि परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिये कर्मचारी अंशदान के रूप में कटौत करेगा तथा अपनी रक्षापत्र से उचित ऐसे कर्मचारियों के मासिक अंशदान कटौती का विवरण संलग्न परिशिष्ट में वेतन तथा पाने में दर्ज कर वेतन देयक के साथ संलग्न करेगा।

(2) कोषालय: माधवपुरी प्रत्येक माह महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना कटौती का विवरण भेजित करेगा।

(3) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में कर्मचारियों के वेतन कटौती से प्राप्त धनराशि तथा शारत अंशदान की राशि लोक लेखा के रूप में रखी जायेगी।

(4) अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत प्राथम कर्मचारी अंशदान व शासन के अंशदान से प्राप्त धनराशि से संबंधित लोक लेखा के संचारण हेतु निर्देश महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर से पृथक जारी किये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(ए० पी० श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. राजधानी मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल।
2. प्र. सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा भोपाल।
3. नि. क. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. प्र. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. संचार, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. संचार, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
7. नि. सचिव/नि. सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्यप्रदेश शासन।
9. स. स. राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल।
10. रोजगार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
11. महासचिव/उप महासचिव, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
12. महासचिव (लेखा) और इकाई/ऑडिट-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
13. उच्च न्यायालय परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. प्र. सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
15. अ. सचिव/उप सचिव संचालनलय, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. नि. सचिव/उप सचिव राज्य मद्रासलय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अ. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखा अधिकारी) मंत्रालय भोपाल।
18. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर मंत्रालय भोपाल।
19. सामान्य संचालन संयुक्त संचालक, लेखा, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
20. स. स. सचिव, लेखा प्रशिक्षण शाखा, मध्यप्रदेश।
21. स. स. सचिव, अधिकारी, मध्य प्रदेश।
22. स. स. सचिव, जनसंपर्क प्रकाशन, मंत्रालय भोपाल।
23. अ. स. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, कक्ष- 84, मंत्रालय, भोपाल।
24. अ. स. सचिव, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों।
25. मा. सचिव।

की ओर संचालन एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अर्पित।



(पी.सी.वर्मा)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग